



2026:AHC:129670

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21132/2026

महताब मंसूरी उर्फ अनवर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: राधे श्याम यादव

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 352/2025, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 352, 351(3), 109, थाना- कोतवाली फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि घटना में किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अंकित यादव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7434 वर्ष 2026 (अंकित यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 26.2.2026 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का वाद सह-अभियुक्त के समान है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक दिनांक 20.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है।

5. इस विवादक के प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक तीनों मामलों में जमानत पर है तथा वह पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

7. यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, तथापि उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अंकित यादव को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7434 वर्ष 2026 (अंकित यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)** में दिनांक 26.2.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया है।

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, **प्रथम दृष्टया**, जमानत के लिए मामला बनता है।

9. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित अभियुक्त-आवेदक- **मेहताब मनसूरी उर्फ अनवर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनाएगा/धमकी नहीं देगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर, इस वचनबंध के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दायर की जाएगी।

13. आगे यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को भेजे।

14. उपर्युक्त की गई टिप्पणियां अनन्य रूप से वर्तमान जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए हैं तथा इन्हें वाद के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

30 जून, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)